न्यायालय ... राजस्व मंडल ग्वालियर ...

(41)

Rs. 20/-

93
19.2.14

R-923-III/14

सुग्रीव सिंह तनय कामता सिंह निवासी ग्राम खैरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

------- आवेदक

बनाम

सुरेन्द्र सिंह तनय शंभूनाथ सिंह निवासी ग्राम खैरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

------- अनावेदक

श्री... कीर्ति कुमार द्विवेदी ...एड
द्वारा आज दिनांक 19.2.14 ... को
प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 7444
... पोस्ट द्वारा आज
... को प्राप्त

... मप्र ग्वालियर,

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय रीवा जरिये प्रकरण क्र. 1 निग./13-14 दिनांक 15/1/14,

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता ।

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यहांकि विचारण न्यायालय/ अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के समक्ष अनावेदक सुरेन्द्र सिंह द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 12(1) स्थान नियंत्रण अधि. के तहत प्रस्तुत कर अराजी खसरा नम्बर 368/3 रकबा 0.085 ए. मे निर्मित मकान से अनावेदक/ निगरानी कर्ता को बेदखल करने हेतु आवेदन दिया था जिस आवेदन पत्र को विचारण न्यायालय/ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक ढंग से अनुविभागीय अधिकारी/ भाड़ा नियंत्रण अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का अतिक्रमण करते हुये स्वीकार किया गया तथा निगरानी कर्ता/ अनावेदक को उक्त मकान से बेदखल करने का आदेश दिनांक 27/7/13 को पारित किया गया तथा आदेश के पालन हेतु पुलिस को निर्देश दिये गये ।

क्रमश: 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 923–तीन/2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–04–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर के प्रकरण कमांक 1/निग0/13–14 में पारित आदेश दिनांक 15–1–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी मेमो एवं विचाराधीन आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा ने धारा 12(1) स्थान नियंत्रण अधिनियम के अनतर्ग कार्यवाही कर आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	